न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 136/2017 अपील

1.श्री भुवाना पिता हरचन्दा मीणा निवासी टोला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		– रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 228/2017 निर्णय दिनांक 12.10.2017

उपस्थित –
1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.02.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें प्रकरण सं. 228/2017 निर्णय दिनांक 12.10.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट ने ग्राम टोला की आराजी सं. 857/74 रकबा 2.00 बीघा भूमि से शास्ति लगान 1.00 का 50 गुणा 50/–रूपये जुर्माना व 15 दिन के कारावास का निर्णय विरूद्व अपीलार्थी के पारित करने में कानूनी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने निर्णय पारित किया । अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि से कब्जा हटा लिया गया हैं। वर्तमान में अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया व अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात पर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय दण्ड आदेश पारित फरमा दिया । अपीलार्थी 40 वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं । अपीलाण्ट भूमिहीन गरीब व्यक्ति हैं। उक्त भूमि के अलावा अपीलार्थी के पास जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.12.2017 को पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम टोला की आराजी सं. 857/74 रकबा 2.00 बीघा भूमि से शास्ति लगान 1.00 का 50 गुणा 50/–रूपये जुर्माना व 15 दिन के कारावास का निर्णय विरूद्व अपीलार्थी के पारित करने में कानूनी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुने निर्णय पारित किया । अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि से कब्जा हटा लिया गया हैं। वर्तमान में अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही हैं । इस हेतु नॉन ज्यूडिसियल शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया व अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात पर मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय दण्ड आदेश पारित फरमा दिया । अपीलार्थी 40 वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं । अपीलाण्ट भूमिहीन गरीब व्यक्ति हैं। उक्त भूमि के अलावा अपीलार्थी के पास जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में आर आर टी 2006–07 पेज नं. 33व 34, आर आर टी 2009 (2) पेज नं. 858से 860 एवं आर आर टी 2003(1) पेज नं. 306 व 307 विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये ।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पटवारी हल्का टोला द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्व ग्राम टोला तहसील जहाजपुर की आराजी नं0 857/74 रकबा 2.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के शास्ति लगान 1.00 का 50 गुणा 50/–रूपये के अधिरोपित कर वसूलने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं। तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 228/2017 निर्णय दिनांक 12.10.2017 को यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा